

बिहार सरकार  
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरुद्ध कुमार मा0प्र0से0,  
अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
दरभंगा/पूर्णियाँ/पटना/सीतामढ़ी ।

पटना-15, दिनांक-

**विषय:** वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्यशीर्ष- 2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष- 80- सामान्य, लघुशीर्ष-001- निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष- 0001- आपदा प्रबंधन विभाग का क्षेत्रीय स्थापना विपत्र कोड-39-2245800010001 के विभिन्न विषय शीर्षों के अन्तर्गत ₹95,00,000/- (पनचानवे लाख रुपये) आवंटन की स्वीकृति।

**आदेश:** स्वीकृत।

2. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्यशीर्ष 2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष- 80- सामान्य, लघुशीर्ष-001- निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष- 0001- आपदा प्रबंधन विभाग का क्षेत्रीय स्थापना के विभिन्न विस्तृत /विषय शीर्षों के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
3. वर्तमान आवंटित एवं पूर्व आवंटित राशि का जिलावार/ मदवार विवरणी क्रमशः अनुलग्नक I एवं अनुलग्नक II के रूप में संलग्न है।
4. यह राशि जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक 180 दिनांक 06.05.17 एवं 181 दिनांक 06.05.17 /पूर्णियाँ के पत्रांक 860 दिनांक 23.06.17/पटना के पत्रांक 728 दिनांक 23.06.17/सीतामढ़ी के पत्रांक 515 दिनांक 13.06.17 द्वारा की गई अधियाचना तथा उपलब्ध बजट उपबंध के आलोक में आवंटित की जा रही है।
5. जिलों द्वारा उक्त शीर्ष के अंतर्गत व्यय की गई राशि का व्यय प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।
6. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561[वि0 (2)] दिनांक- 17.4.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय।
7. इस आवंटन आदेश की प्राप्ति के पश्चात् पत्र की एक प्रति पर "आवंटन प्राप्त हुआ" उल्लिखित करते हुए तुरन्त रिटर्न फैंक्स से विभाग को सूचित किया जाय।
8. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-15.3.2018 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।
9. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश सं  
ह0/  
अपर सचिव

ज्ञापांक-...../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट) पटना को सूचनार्थ प्रेषित।



ह0/-  
अपर सचिव

ज्ञापांक-...../आ0प्र0, पटना--15, दिनांक--

प्रतिलिपि: संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/ उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/--

अपर सचिव

ज्ञापांक-...../आ0प्र0, पटना--15, दिनांक--

प्रतिलिपि: संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/--

अपर सचिव

ज्ञापांक -...../आ0प्र0, पटना--15, दिनांक--


प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/--

अपर सचिव

ज्ञापांक-<sup>45</sup>...../आ0प्र0, पटना--15, दिनांक--<sup>12/3/17</sup>

प्रतिलिपि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट)/ सांख्यिकी पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/ कार्यवाह सहायक/आईटी0 मैनेजर/ प्रगारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
अपर सचिव